

मान्यता कोड : RJJA125120

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: जिला/मा/जव/प्रथम/लैट-5/क्रमान्वयी/ 3193

दिनांक 14/08/2018

सचिव

प्रबंध समिति

SHINE STAR CHILDRENS ACADEMY

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 23954 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SHINE STAR CHILDRENS ACADEMY पता C-36, BALAJI VIHAR-6, BENAR ROAD JHOTWARA, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NIWARU ब्लॉक JHOTWARA को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

Kalpana Choudhary
Secretary
Jahnvi Industrial Training Institute
Boytawala, Jaipur

PRINCIPAL
Shine Star Children's Academy
Balaji Vihar VI, Benad Road,
Jaipur
(K)

प्रबन्धकारिणी
जाहवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बैनाड़, जयपुर (राज.)

मान्यता कोड : RJJAI25120

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

Kalpana Choudhary
Secretary
Jahnvi Industrial Training Institute
Boytawala, Jaipur

Manager
Manager
प्रबन्धकारिणी
जाह्वी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बैनाड़, जयपुर (राज.)
(K)
PRINCIPAL
Shine Star Children's Academy
Balaji Vihar VI, Benad Road,
Jaipur

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

Kalpana Choudhary
Secretary
Jahnvi Industrial Training Institute
Boytawala, Jaipur

PRINCIPAL
Shine Star Children's Academy
Balaji Vihar VI, Benad Road,
Jaipur

नारीलीब
Manager
Manager
प्रदन्धकारी
जातीयी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
बैनाड़, जयपुर (राज.)